166

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1168—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—04—2006 के द्वारा न्यायालय आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 304/अ—6/2002—03/अपील

.....

1— बालचन्द्र पुत्र पंचे उर्फ पंचमलाल सेन,
2— महेश प्रसाद पुत्र पंचलाल साहू,
3— जितेन्द्र
4— राहुल
5— सहदेव 3, 4,व 5 आवेदक नाबालिग, पुत्रगण
हुकमसिंह पुत्र महाराज सिंह, समस्त
निवासीगण— ग्राम लिधौरा, तहसील—जतारा,
जिला—टीकमगढ़, (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— चिंरोजी पुत्र हजारी अहिरवार,
2— पंचलाल पुत्र वृन्दावनलाल अहिरवार,
3— श्रीमती मुलियाबाई बेवा वृन्दावनलाल अहिरवार
निवासीगण— ग्राम लिधौरा, तहसील—जतारा,
जिला—टीकमगढ़, (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री श्रीकृष्णा शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 18-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—04—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार जतारा के न्यायालय में आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लिधौरा स्थित विवादित भूमि खसरा नंबर 2980/1

रकबा 6.03 हैक्टेयर पर अनावेदक पंचमलाल एवं श्रीमती मुलिया बाई बेवा बिन्द्रावन अहिरवार तथा चिरोंजीलाल व उसके भाई रघुवर की भूमिस्वामी अधिपत्य की भूमि, श्री बिन्द्रावन दो वर्ष पूर्व फौत हो गये एवं रघुवर भी एक वर्ष पूर्व फौत हो गये है, उनके विधिक वारिस अनावेदकगण है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्ष 1985 में भूमि विकास बैंक द्वारा नीलाम कर दी गई तथा आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि क्रय की गई थी। नीलामी प्रमाण–पत्र के आधार पर क्रेता पक्ष के नाम अभिलेख में भूमि दर्ज की गई। उक्त नीलामी के विरूद्ध बिन्द्रावन एवं रघुवर के द्वारा संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियां सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो प्रकरण क्रमांक 77–10/86 आदेश दिनांक 18.08.86 द्वारा नीलामी अवैध पाये जाने से निरस्त की गई तथा अनावेदकगण को सम्पूर्ण राशि मय ब्याज संहित एवं 5 प्रतिशत के कमीशन के साथ करने के निर्देश दिये गये, जिसके पालन में अनावेदकगण द्वारा दिनांक 10.09.86 को उक्त राशि जमा कर दी गई। आवेदकगण द्वारा उक्त आदेश दिनांक 18.08.86 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 12.11.86 को निरस्त की गई। इसके पश्चात आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर समक्ष अपील पेश की गई जो दिनांक 07.03.97 को खारिज हो गई। इसके बाद अनावेदकगण ने मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–110 के तहत संयुक्त पंजीयक सागर के आदेश दिनांक 18.08.86 के अनुसार नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार जतारा ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 7/अ–6/2002–03 आदेश दिनांक 10.03.2003 के अनुसार बाद भूमि पर आवेदक पक्ष के स्थान पर पंचमलाल एवं श्रीमती मुलिया बाई हिस्सा 1/2 एवं चिरोंजीलाल हिस्सा 1/2 के अनुसार नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो कि निरस्त की गई। इसके बाद आवेदकगण द्वारा आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 304/अ–6/2002–03/अपील पर दर्ज होकर दिनांक 03–04–2006 को अनावेदकगण के हित में आदेश पारित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई और न सुनवाई का अवसर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड के विपरीत यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदकगण को नामांतरण बावत् सूचना दी गई व सुनवाई का अवसर दिया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक

07.03.97 का निरस्ती आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में इस प्रकरण के रेस्टोरेसन हेतु मिसलेनियस पिटीसन प्रस्तुत की है तथा उपरोक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु रेस्टोर कर दिया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों पर से इन्द्राज आदि की कार्यवाही नहीं हो सकती है तथा माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निराकरण तक अधीनस्थ न्यायालयों को किसी भी तरह की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि सन् 1985 में भूमि विकास बैंक द्वारा विधिवत नीलामी में आवेदकगण को विक्रय कर दिया तथा संयुक्त पंजीयक का आदेश दिनांक 10.09.86 का है। इस आदेश के पूर्व ही आवेदकगण को भूमिस्वामित्व के हक प्राप्त हो गये और विधिवत कब्जा प्राप्त हो गया। इन सभी तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विचार ही नहीं किया तथा विचार न करने से आवेदकगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी जतारा, जिला–टीकमगढ़ के समक्ष माननीय श्री एस0के0 चौबे के न्यायालय में एक व्यवहार वाद प्रस्तुत किया है जो प्र0क्र0 69ए/05 पंचम आदि बनाम बलबन्द आदि पर विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.05 के आधार पर उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के निकाल तक कार्यवाही स्थिगित कर दी है। अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के मुताबिक भी अधीनस्थ तहसील न्यायालय कोई कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय में इन्द्राज आदि की कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिये है । इन सभी तथ्यों पर विचार न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह अवैधानिक है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत विगत कई पेशी से अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के समक्ष आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 91/87 में पारित आदेश 07.03.97 के द्वारा निरस्त कर दी गई है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में कोई आदेश दिया गया हो ऐसा कोई

आवेज आवेदकगण के पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । अतएव विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 110 के अंतर्गत की गई कार्यवाही ही अनुचित नहीं कही जा सकती है। प्रकरण में आवेदकगण ने यह तर्क दिया था कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया । यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण को व्यक्तिगत सूचना–पत्र पेशी दिनांक 14.02.2003 तामील है । विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण कार्यवाही उनके पक्ष में पारित निर्णयों के दृष्टिगत ही की गई है। मैं विचारण तहसील न्यायालय के इस निर्णय से सहमत हूँ । आयुक्त सागर ने भी अपने आदेश में इसकी पुष्टि की है। अतः आयुक्त सागर संभाग, सागर के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश 03–04–2006 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः आयुक्त सागर संभाग, सागर का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर